न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–37/15

दायर दिनांक:–15.10.2015

निर्णय दिनांक :–20.12.2019

उनवान

सुखपाल पुत्र लक्ष्मण जाति सहरिया निवासी केलवाडा दाता तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1–सिरया पुत्र रूग्घी जाति सहरिया निवासी कलोनिया तह0 शाहाबाद।

2–सुन्दर पत्नि कल्लू जाति सहरिया निवासी सीलोरा तह0 शाहाबाद।

3–राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम सीलोरा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 8/230 रकबा 5.00 बीघा स्थित है यह आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 2 के खाते दर्ज है विवादित आराजी का मूल खसरा न0 8 रहा है जिसका रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा रहा है इस खसरा न0 में से 8 बीघा भूमि वादी के पिता लक्ष्मण पुत्र शंकर जाति सहरिया निवासी केलवाडा को दिनांक 28/8/1976 को आवन्टन कमेटी द्वारा केम्प केलवाडा में पूर्ण कोरम द्वारा आवन्टित की गई है जबसे ही इस आठ बीघा भूमि पर वादी के पिता बतौर खातेदार कृषक काश्त करते रहे वादी के पिता की मृत्यु के बाद से ही लगातार वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है वादी उनका एक मात्र पुत्र होकर वैधानिक वारिस है। नामान्तरकरण संख्या 34 ग्राम सीलोरा के द्वारा वादी के पिता को उक्त आवन्टन के आधार पर गैर खातेदारी अधिकार दे दिये गये तथा पटवारी हल्का द्वारा पास बुक भी जारी कर दी गई। जुलाई 2015 में प्रतिवादी कम 2 मानसिंह किराड निवासी केलवाडा को लेकर खेत पर पहुंची और वादी से कहने लगी कि यह जमीन मैंने खरीद ली है आज के बाद मेरी तरफ से मानसिंह इस भूमि को काश्त करेगा इस पर वादी ने कहा कि यह जमीन तो मेरी है मेरे पिता के नाम आवन्टित हुई है इसकी पासबुक भी मेरे पास है इसके बाद भी प्रतिवादी कम 2 विवादित भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी देकर चली गई इसके बाद वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि का कोई इन्द्राज नही है तथा सिरया पुत्र रणधीरा सहर निवासी कलोनिया को दिनांक 29/12/78 को ग्राम सीलोरा के ख0 न0 8 की 5 बीघा भूमि आवन्टित की गई है जिसके स्थान पर नामान्तरकरण संख्या 36 से सिरिया पुत्र रूग्घी जाति सहरिया निवासी कलोनिया के नाम अवैधानिक तौर पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया

उपं खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner

जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति कभी कलोनिया में नही रहा है बाद में इस आराजी का मिन नम्बर 8/230 बना है जिसे प्रतिवादी कम 2 ने मानसिंह किराड के सहयोग से कोई फर्जी आदमी खडा कर दिनांक 12/6/2013 को जर्ये रजि0 विकय पत्र अपने नाम दर्ज कराली यह आवन्टन वादी के पिता के आवन्टन के बाद का है तथा विकेता प्रतिवादी कम 1 ने इस विकय पत्र में अपनी उम्र 50 साल लिखाई है इससे साफ है कि आवन्टन दिनांक 29/12/78 को प्रतिवादी कम 1 की उम्र 15 साल थी जो पूर्णतः नाबालिग होन से किसी भी तरह आवन्टन का पात्र नही था इस कारण प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में किया गया आवन्टन वादी के प्रति प्रभाव शून्य है इसी तरह विवादित आराजी का प्रतिवादी कम 1 की ओर से प्रतिवादी कम 2 के नाम किया गया विकय भी अवैध होकर प्रभाव शून्य है। वादी के पिता के पक्ष में किये गये आवन्टन एवं आवन्टन के पश्चात विवादित आराजी जिसे प्रतिवादी कम 1 व 2 अपनी होना बता रहे हैं पर प्रतिवादीगण का आज तक एक क्षण भी कब्जा नही रहा है इसके विपरीत वादी एवं वादी के पिता विवादित आराजी को आवन्टन दिनांक 28/8/1976 से निरन्तर बैहैसियत खातेदार स्वतंत्र रूप से काश्त कर रहे है इस कारण विवादित आराजी पर वादी के हक हकूक परिपक्व हो चुके है और वादी विवादित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा कर खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी/वादी ने जुलाई 2015 के बाद प्रतिवादी कम 3 से कई बार लिखित में निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी कम 3 ने 20/9/15 को विवादित आराजी का नामान्तरकरण वादी के पक्ष में तस्दीक करने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी कम 1 ने वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है इससे प्रार्थी के हकूक मालिकाना को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन सम्भव नही होगा इस कारण प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया जिन्होने कोई जवाब पेश नही किया अन्ततः अप्रार्थीगण के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 19/4/17 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि विवादित आराजी का मूल खसरा न0 8 रहा है जिसका रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा रहा है इस खसरा न0 में से 8 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता लक्ष्मण पुत्र शंकर जाति सहरिया निवासी केलवाडा को दिनांक 28/8/1976 को आवन्टन कमेटी द्वारा आवन्टित की गई है नामान्तरकरण संख्या 34 ग्राम सीलोरा के द्वारा वादी के पिता को उक्त आवन्टन के आधार पर गैर खातेदारी अधिकार दिये गये है इसके पश्चात राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी के पिता का नाम विलुप्त हुआ है जो कैसे हुआ है यह साक्ष्य का विषय है जो दावे में निर्णित होगा इस अवधि में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पडेगा तथा मुकदमेबाजी को भी बढावा मिलेगा इस कारण न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज0)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ता फैसला बाद विवादित आराजी ग्राम सीलोरा तह0 शाहाबादके खसरा नम्बर 8/230 रकबा 5 बीघा के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। आदेश आज दिनांक 20/12/19 को लिखाया जाकर सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो और पत्रावली संलग्न मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned by CamScanner